

Roll No.

D-130

**M. Com. (Fourth Semester) (ATKT)
EXAMINATION, May-June, 2020**

(Optional—Specialization)

[Optional Group (D) : Taxation and Accounting]

Paper D—II

INDIRECT TAX

*Time : Three Hours]**[Maximum Marks : 80**[Minimum Pass Marks : 16*

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

खण्ड—अ

प्रत्येक 1

(Section—A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. निम्नलिखित में से कौन-से अप्रत्यक्ष कर हैं ?

(i) निगम कर

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(iii) सीमा शुल्क

(iv) धन कर

(अ) (i) एवं (ii)

(ब) (ii) एवं (iii)

(स) (i), (ii) एवं (iii)

(द) उपर्युक्त सभी

Which of the following are indirect taxes ?

(i) Corporation tax

(ii) Central Excise Duty

(iii) Customs Duty

(iv) Wealth Tax

(a) (i) and (ii)

(b) (ii) and (iii)

(c) (i), (ii) and (iii)

(d) All of the above

2. वर्ष 2018-19 में राजस्व की दृष्टि से निम्नलिखित करों को क्रम से निर्धारित कीजिए :

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(ii) सीमा शुल्क

(iii) निगम कर

(iv) आयकर

(अ) (i), (ii), (iii) एवं (iv)

(ब) (iv), (iii), (i) एवं (ii)

(स) (iii), (i), (ii) एवं (iv)

(द) (iii), (iv), (i) एवं (ii)

P. T. O.

Determine the following taxes in order of revenue in the year 2018-19 :

- (i) Central Excise Duty
- (ii) Customs Duty
- (iii) Corporation Tax
- (iv) Income Tax
- (a) (i), (ii), (iii) and (iv)
- (b) (iv), (iii), (i) and (ii)
- (c) (iii), (i), (ii) and (iv)
- (d) (iii), (iv), (i) and (ii)

3. उत्पाद शुल्क योग्य माल का अर्थ है, ऐसा माल जो :

- (अ) भारत में उत्पादित हो
- (ब) कारखाने में निर्मित हो
- (स) उत्पाद शुल्क अधिनियम में शामिल हो
- (द) उत्पाद टैरिफ एक्ट की सूची में शामिल हो

Excisable goods means, such goods which is :

- (a) Manufactured in India
- (b) Manufactured in Factory
- (c) Included in Excise Duty Act
- (d) Included in the schedule of Excise Tariff Act

4. उत्पादन प्रक्रिया नहीं है।

- (अ) आलू के चिप्स बनाना
- (ब) गन्ने को कुचलना
- (स) चाय को मिलाना, छाँटना एवं पैकिंग करना
- (द) पुराने टायरों की रिट्रेडिंग करना

..... is not a manufacturing process.

- (a) Making a potato chips
- (b) Crushing a sugarcane
- (c) Tea mixing, sorting and packing
- (d) Retrading of old tyres

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अलग-अलग परिसरों के लिए आवश्यक है :

- (अ) केवल एक पंजीयन
- (ब) अलग-अलग पंजीयन
- (स) केवल मुख्य कारखाने का पंजीयन
- (द) अलग-अलग राज्यों में पंजीयन

In central excise duty requires different premises :

- (a) Only one registration
- (b) Different registration
- (c) Only main factory building registration
- (d) Separate registration in each state

6. उत्पाद शुल्क की गणना का आधार है :

- (अ) संव्यवहार मूल्य
- (ब) अधिकतम फुटकर मूल्य
- (स) टैरिफ मूल्य
- (द) उपर्युक्त सभी

Basis of calculate of Excise Duty :

- (a) Transaction value
- (b) Maximum Retail Price
- (c) Tariff value
- (d) All of the above

7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दृष्टि से वस्तु के संव्यवहार मूल्य में सम्मिलित न होने वाली मद :

- (अ) कच्चा माल प्राप्त करने की लागत
- (ब) बाह्य भाड़ा एवं मार्गस्थ बीमा
- (स) डिजाइन एवं इंजीनियरिंग व्यय
- (द) पैकिंग व्यय

Item not to be included in the assessable value of the goods from the point of view of Central Excise :

- (a) Cost of handling of raw material
- (b) Outward freight and transit insurance
- (c) Design and Engineering Expenses
- (d) Packing Expenses

8. कथन (I) : क्षय एवं स्क्रेप को हमेशा उत्पाद योग्य माल माना जाता है।

कथन (II) : सभी नमूनों पर उत्पाद शुल्क, निःशुल्क दिये जाने पर भी देय होता है।

- (अ) कथन (I) एवं कथन (II), दोनों सही हैं।
- (ब) कथन (I) सही है, परन्तु कथन (II) सही नहीं है।
- (स) कथन (II) सही है, परन्तु कथन (I) सही नहीं है।
- (द) कथन (I) एवं कथन (II), दोनों गलत हैं।

Statement (I) : Wastes and scrap are always treated as excisable goods.

Statement (II) : Excise duty is payable on all sample, even if given free.

- (a) Statement (I) and Statement (II), both are correct.
- (b) Statement (I) is correct, but statement (II) is not correct.
- (c) Statement (II) is correct, but statement (I) is not correct.
- (d) Statement (I) and Statement (II), both are not correct.

9. शुल्क जो लगाया या भुगतान न किया गया हो (या गलती से जिसकी प्रतिपूर्ति कर दी गयी हो) के लिए प्रभार्य व्यक्ति पर एक केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी को नोटिस देना होता है :

- (अ) सुसंगत तिथि से 3 माह के भीतर
- (ब) सुसंगत तिथि से 6 माह के भीतर
- (स) सुसंगत तिथि से 9 माह के भीतर
- (द) सुसंगत तिथि से 12 माह के भीतर

A Central Excise officer may serve notice on the person chargeable with the duty which has not been levied or paid (or to whom the refund has been erroneously made) within :

- (a) 3 months from the relevant date
- (b) 6 months from the relevant date
- (c) 9 months from the relevant date
- (d) 12 months from the relevant date

10. सीमा शुल्क का आधार है :

- (अ) वस्तुओं का आयात
- (ब) वस्तुओं का निर्यात
- (स) वस्तुओं का आयात या निर्यात
- (द) वस्तुओं का उत्पादन

Basis of customs duty is :

- (a) Import of goods
- (b) Export of goods
- (c) Import or Export of goods
- (d) Production of goods

11. लाभार्थी स्वामी का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है :

- (अ) जिसकी ओर से माल का आयात या निर्यात किया जा रहा है।
- (ब) जो आयात या निर्यात किये जा रहे माल पर प्रभावी नियन्त्रण रखता है।
- (स) उपर्युक्त (अ) अथवा (ब)
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Beneficial owner means any person :

- (a) On whose behalf the goods are being imported or exported.
- (b) Who exercises effective control over the goods being imported or exported.
- (c) (a) or (b) above
- (d) None of the above

12. आयातित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी एक करयोग्य घटना है ?

- (अ) सीमा शुल्क बन्दरगाह पर आयातित सामान उतारना
- (ब) भारतीय प्रादेशिक जल में प्रवेश की तिथि
- (स) प्रविष्ट बिल के प्रस्तुति की तिथि
- (द) वह तिथि जिस पर माल सीमा शुल्क की बाधा को पार करता है।

Which of the following is a taxable event for imported goods ?

- (a) Unloading of imported goods at the customs port.
- (b) Date of entry into Indian territorial waters.
- (c) Date of presentation of bill of entry.
- (d) Date on which the goods cross the customs barrier.

13. सीमा शुल्क उद्देश्य के लिए माल का कर-निर्धारण योग्य मूल्य होता है :

- (अ) वास्तविक मूल्य
- (ब) नियम-10 में वास्तविक मूल्य एवं समायोजन
- (स) माना गया मूल्य
- (द) मानक मूल्य

Assessable value of goods for customs duty purposes is :

- (a) Actual value
- (b) Actual value plus adjustment in Rule-10
- (c) Deemed value
- (d) Standard value

14. एक सप्ताह के लिए जर्मनी में रहने के बाद भारत लौटने वाले व्यक्ति को बिना किसी सीमा शुल्क के भुगतान के ₹ तक का माल लाने का अधिकार है।

- (अ) 50,000
- (ब) 25,000
- (स) 12,000
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

A passenger returning to India after stay in Germany for one week is entitled to bring goods upto ₹, without payment of any customs duty.

- (a) 50,000
- (b) 25,000
- (c) 12,000
- (d) None of the above

15. आयात माल सूची प्रस्तुत की जाती है :

- (अ) आयातक द्वारा
- (ब) प्रभारी व्यक्ति द्वारा
- (स) एजेण्ट द्वारा
- (द) परिवहन कम्पनी द्वारा

Import manifest produced by :

- (a) Importer
- (b) Person-in-charge
- (c) Agent
- (d) Transporter company

16. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत इनमें से कौन-सा निकटवर्ती प्राधिकारी नहीं है ?

- (अ) सीमा शुल्क आयुक्त
- (ब) सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त
- (स) आयुक्त (अपील)
- (द) सहायक आयुक्त सीमा शुल्क

Which of these is not an adjudicating authority under Customs Act, 1962 ?

- (a) Commissioner of Customs
- (b) Principal Commissioner of Customs
- (c) Commissioner (Appeals)
- (d) Assistant Commissioner of Customs

17. आयात के सम्बन्ध में विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा देय राशिपातन शुल्क है :

- (अ) निरंक
- (ब) सीमा शुल्क का 5%
- (स) सीमा शुल्क का 7.5%
- (द) सीमा शुल्क का 10%

Anti-dumping duty payable by a special economic zone in respect of an import is :

- (a) Nil
- (b) 5% of the customs duty
- (c) 7.5% of the customs duty
- (d) 10% of the customs duty

18. कोई व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निपटान आयोग में आवेदन कर सकता है :

- (अ) कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले
- (ब) स्थगन आदेश से पहले
- (स) अपील दायर करने से पहले
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

A person can make an application to the Settlement Commission under Custom Act ?

- (a) Before issue of show cause notice
- (b) Before adjudication
- (c) Before filing appeal
- (d) None of the above

19. माल के निर्यात के लिए जिन पर विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री पर दोषपूर्ण छूट दी जाती है :

- (अ) माल का निर्यात मूल्य आयातित सामग्री से दुगुने से अधिक होना चाहिए।
- (ब) विक्रय प्रक्रिया की वसूली निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ही की जानी होगी।

(स) दावा के सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारखाना का निरीक्षण करना होता है।

(द) ब्याज के बिना पिछला भुगतान दो माह की अवधि तक अनुमत होता है।

For export of goods on which drawback is allowed on imported materials used in manufacture :

- (a) Export value of goods has to be more than double the value of imported materials.
- (b) Realisation of Sale proceeds has to be effected by the exporter within a specified time.
- (c) The manufactory has to be inspected by authorized officer for verification of claim.
- (d) Drawback payment without interest is allowed upto a period of two months.

20. सीमा शुल्क के संदर्भ में सर्वोच्च प्राधिकारी संस्था है :

- (अ) वित्त मन्त्री
- (ब) अप्रत्यक्ष करों का बोर्ड
- (स) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- (द) मुख्य आयुक्त

Top most authority in the reference of customs duty is :

- (a) Finance Minister
- (b) Board of Indirect Taxes
- (c) Central Board of Excise and Customs
- (d) Chief Commissioner

खण्ड—ब

(Section—B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो या तीन वाक्यों में दीजिए।

Attempt any *eight* questions. Each question carries
2 marks. Answer to the question give in 2 or 3 sentences.

1. अप्रत्यक्ष कर से आपका क्या आशय है ?
What do you mean by Indirect Tax ?
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्माता की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
State *two* main features of the manufactures under the Central Excise Act.
3. सेनवेट क्रेडिट क्या है ?
What is CENVAT Credit ?
4. कर-निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में परिवहन व्यय का प्रभाव बताइए।
State the effect of transportation expenditure in determination of assessable value.
5. जॉब वर्क पर निर्मित माल के मूल्यांकन का सूत्र लिखिए।
Write down the formula of evaluation of goods manufactured on the Job work.

P. T. O.

6. उत्पाद शुल्क सम्बन्धी मामलों में पुनर्विचार से सम्बन्धित कोई दो परिस्थितियाँ बताइए।

State any *two* circumstances relating to revision in excise related matters.

7. प्रवेश बिल से आपका क्या अभिप्राय है ?
What do you mean by Bill of Entry ?
8. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
State *two* salient features of software technology park.
9. 'प्रतिबन्धात्मक आयात' से आपका क्या आशय है ?
What do you mean by 'Restricted Import' ?
10. केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वे कौन से अपराध हैं, जिनके लिए किसी के विरुद्ध सजा की कार्यवाही की जा सकती है ?
What are the offences under the Central Customs Act for which punishment can be proceeded against ?

खण्ड—स

(Section—C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए।

Attempt any *eight* questions. Each question carries
3 marks. Answer the question in about **75** words.

1. "उत्पाद शुल्क माल पर लगाया जाता है।" स्पष्ट कीजिए।
"Excise duty is levied on goods." Explain.

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन से क्या अभिप्राय है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

What is meant by manufacture under the Central Excise Act ? Clear with example.

3. उत्पादन शुल्क योग्य माल के मूल्यांकन के समय पैकिंग की लागत को शामिल करने सम्बन्धी प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।

Analyse the provisions regarding inclusion of cost of packing at the time of valuation of excisable goods.

4. अधिकतम फुटकर मूल्य आधार की मुख्य बातें बताइए।

State the main points regarding value based on maximum retail price.

5. किन शुल्कों के सम्बन्ध में सेनवेट क्रेडिट दिया जाता है ?

In respect of which duties CENVAT Credit is allowed ?

6. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क की वापसी (रिफण्ड) की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Describe the procedure of Refund of Excise Duty under the Central Excise Act.

7. सीमा शुल्क के सम्बन्ध में विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए।

Clear the legal position regarding special Additional Customs Duty in the reference of Customs Duty.

P. T. O.

8. सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आयातित माल की निकासी के प्रावधान समझाइए।

Explain the provisions for clearance of imported goods under Customs Act.

9. सीमा शुल्क अधिनियम में वस्तुओं के अनियमित निर्यात के अपराध के लिए क्या प्रावधान हैं ?

What is the provision for the offence of improperly export of goods in the Customs Act ?

10. एक जहाज 6 अक्टूबर, 2018 (शनिवार) को बन्दरगाह पर आता है, बिल का प्रवेश 12 अक्टूबर, 2018 को दर्ज किया गया है। विलम्ब प्रभार का निर्धारण कीजिए।

A ship arrives at port on 6th October, 2018 (Saturday). Bill of Entry filed on 12 October, 2018. Determine late charges.

खण्ड—द

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

- नोट :** सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणितीय प्रकृति के प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

Attempt all questions. Each question except numerical nature is to be answered in about 150 words. Each question carries 5 marks.

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 'निर्माता' कौन है ? उदाहरणों सहित समझाइए।

Who is manufacturer under Central Excise Act ? Describe with examples.

[17]

D-130

अथवा

(Or)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत उत्पादों के वर्गीकरण के नियमों एवं सामान्य सिद्धान्तों की वयाख्या कीजिए।

Explain the general principles and rules for classification of products under central excise duty.

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत 'संव्यवहार मूल्य' की अवधारणा को समझाइए।

Explain the concept of 'Transaction value' under Central Excise Act.

अथवा

(Or)

उत्पादन शुल्क के किन आदेशों के विरुद्ध कमिश्नर (अपील) के यहाँ अपील की जा सकती है। अपील की कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथ ऐसी अपील के निपटारे के सम्बन्ध में कमिश्नर (अपील) के अधिकारों का वर्णन कीजिए।

Against what orders of excise duty appeal can be filed to Commissioner (Appeals) ? Describe the procedure of appeal and state the powers of Commissioner (Appeals) in disposing of such appeal.

3. सीमा शुल्क की गणना के लिए कर-निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात करने की विधि समझाइए।

Discuss the method of computation of assessable value for calculation of customs duty.

P. T. O.

[18]

D-130

अथवा

(Or)

कोचीन का एक आयातक अमेरिका के एक निर्यातक से माल आयात करता है। माल ले जाने वाला जहाज मुम्बई पहुँचता है। बंदरगाह से पहले और वहाँ से माल कोचीन बन्दरगाह तक पहुँचाया जाता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य को निम्नलिखित विवरणों से निर्धारित कीजिए :

		राशि
(i)	निर्यातक के कारखाने में मशीन की लागत	20,000 डॉलर
(ii)	निर्यातक के कारखाने से बंदरगाह तक लदान के लिए परिवहन शुल्क	1,000 डॉलर
(iii)	जहाज में मशीन को लोड करने के लिए दिया जाने वाला हैण्डलिंग चार्ज	100 डॉलर
(iv)	आयातक द्वारा क्रय कमीशन का भुगतान	100 डॉलर
(v)	निर्यात करने वाले देश से भारत तक माल दुलाई शुल्क	2,000 डॉलर
(vi)	भुगतान किया गया वास्तविक बीमा शुल्क पता लगाने योग्य नहीं है।	
(vii)	अमेरिका में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य के लिए चार्ज	5,000 डॉलर
(viii)	आयातक के स्थान पर उतारना एवं सँभालने के लिए भुगतान किया गया शुल्क	₹ 1,500
(ix)	मुम्बई से कोचीन बंदरगाह तक परिवहन शुल्क	₹ 25,000
(x)	विनिमय दर पर विचार किया जाना है 1 डॉलर = ₹ 60	

[19]

D-130

An importer from Cochin imports goods from an exporter in America. The vessel carrying the goods reaches Mumbai port first and from there goods are transshipped to Cochin port.

Determine the assessable value of the imported goods under the Customs Act, 1962 from the following particulars :

		Amount
(i)	Cost of the machine at the factory of the exporter	20,000 Dollars
(ii)	Transport charges from the factory of exporter to the port for shipment.	1,000 Dollars
(iii)	Handling charges paid for loading the machine in the ship	100 Dollars
(iv)	Buying commission paid by the importer	100 Dollars
(v)	Freight charges from exporting country to India	2,000 Dollars
(vi)	Actual insurance charges paid are not ascertainable	
(vii)	Charges for design and engineering work undertaken for the machine in America	5,000 Dollars
(viii)	Unloading and handling charges paid at the price of importation	₹ 1,500
(ix)	Transport charges from Mumbai to Cochin port	₹ 25,000
(x)	Exchange rate to be considered : 1 Dollar = ₹ 60	

P. T. O.

[20]

D-130

4. निर्यात की प्रक्रिया को समझाइए तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निर्यात निकासी के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

Explain the process of export and describe the various steps of export clearance under Customs Act, 1962.

अथवा

(Or)

केन्द्रीय सीमा शुल्क से सम्बन्धित अधिकारियों के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Describe the rights and powers of the authorities related to Central Customs Duty.

D-130